

भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव रोधी संहिता

लागू तिथि 01 मार्च 2020

AKWEL

EFFICIENT AUTOMOTIVE
SOLUTION

अध्यक्ष का संदेश	3
परिभाषाएं.....	4
सामान्य सिद्धांत.....	5
संहिता की प्रयोज्यता	7
सरकारी अधिकारियों से संबंध.....	7
उपहार और मेहमान-नवाजी प्रक्रिया	7
तृतीय पक्ष का उपयोग.....	7
"सुविधा" भुगतान.....	7
दान और राजनैतिक अंशदान.....	8
हितों का टकराव.....	8
प्रतिपालन	8
प्रायोजन/प्रायोजकता	8
प्रशिक्षण.....	9
रिपोर्टिंग.....	10
दंड	11
प्रश्न/ उत्तर	12

अध्यक्ष का संदेश

हम चाहें फ्रांस में कार्यरत हों या विश्व में कहीं पर भी, हम ने हमेशा नैतिकतापूर्ण तरीके से कार्य करने को प्राथमिकता दी है। इसलिए, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि हमारे सभी कर्मचारी, प्रबंधक और कॉर्पोरेट अधिकारी ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, और अधिक सामान्य तौर पर AKWEL के साझेदारों के साथ के संबंधों में भ्रष्टाचार और प्रभाव डालने के प्रयासों के खिलाफ लड़ने से संबंधित कानूनों और विनियमों को जानें और उनका अनुपालन करें।

वास्तव में भ्रष्टाचार और प्रभाव डालने का प्रयास ना केवल गैरकानूनी हैं और हमारे समाज के मूल्यों के खिलाफ हैं, बल्कि यह प्रतिस्पर्धा को सीमित करते हैं और विकास को प्रभावित करते हैं।

परिणाम स्वरूप, इस भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव रोधी संहिता का उद्देश्य है ऐसे उपाय तैयार करना जिससे हमारे सभी कर्मचारी, प्रबंधक और कॉर्पोरेट अधिकारी, चाहे वह कहीं भी स्थित हों, यह कर पाएं:

- आवश्यकता होने पर भ्रष्टाचार या प्रभाव डालने की किसी भी गतिविधि में AKWEL की शामिलगिरी को रोकना,
- भ्रष्टाचार और प्रभाव डालने की किसी भी गतिविधि की रिपोर्ट करना।

कोई भी कर्मचारी, प्रबंधक और कॉर्पोरेट अधिकारी, जिसका सामना भ्रष्टाचार या प्रभाव डालने की प्रक्रिया से हो, उसे विधि विभाग से संपर्क करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव रोधी कानूनों से परिचित होना हमारे प्रत्येक कर्मचारी, प्रबंधक और कॉर्पोरेट अधिकारी का दायित्व है। उदाहरण के लिए, US Foreign Corrupt Practices Act (यूएस फॉरिन करप्ट प्रैक्टिसिज एक्ट - अमरिका का विदेशों में भ्रष्टाचार कानून), UK Bribery Act 2010 (यूके ब्राइबरी एक्ट 2010 - यूके का 2010 का भ्रष्टाचार संबंधी कानून) Sapin II (सापां द कानून), आदि

यह संहिता AKWEL ग्रुप के सभी कर्मचारियों, प्रबंधकों और कॉर्पोरेट अधिकारियों पर लागू होती है।

Mathieu Coutier (माथिओ कुतिए)

Président du Directoire (बोर्ड अध्यक्ष)

परिभाषाएं

इन शब्द विशेषों की निम्नलिखित परिभाषा होगी:

"सरकारी अधिकारी" का अर्थ है :

- ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास सरकार से अधिकार प्राप्त हो, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे निर्णय लेने या रोकने संबंधी सरकारी सत्ता प्राप्त हो (और जिसे वह हमेशा या अस्थायी रूप से उपयोग करता हो) ;
- सभी व्यक्ति जो जन सेवा मीशन में कार्यरत हों, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो, सरकार द्वारा निर्णय लेने या रोकने संबंधी शक्ति दिए जाने के बिना ही, जनहित में कोई कार्य करता हो;
- कोई भी व्यक्ति जिसे जनता द्वारा चुना गया हो, यानी कि वह व्यक्ति जिसे अपने निर्वाचकों की तरफ से कार्रवाई करने के लिए चुना गया हो, चाहे उसके पास निर्णय लेने की सत्ता या शक्ति हो या नहीं।

"लाभ" में कोई भी सेवा (नकद या किसी वस्तु के रूप में), भुगतान, उपहार, सेवा, ऋण, मेहमाननवाज़ी (नीचे परिभाषित), योगदान, दान, अनुदान या प्रायोजन और अधिक सामान्य रूप से लाभार्थी के लिए अधिक रुचि वाला कुछ भी, शामिल है, चाहे उसका मूल्य जो भी हो।

"सहयोगी" सभी कर्मचारियों, बाह्य सहयोगियों या कभी-कभार जुड़े सहयोगियों (अस्थायी कर्मचारी, सेवा प्रदाता, अप्रेंटिस, इन्टर्न आदि), कॉर्पोरेट अधिकारियों, और Groupe AKWEL के निर्देशकों का उल्लेख करता है।

"भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव रोधी कानून" का अर्थ है लागू होने वाला कोई भी कानून या विनियम जिसमें अयोग्य प्रस्ताव, उपहार, या लाभ स्वीकार कवर किए जाते हों, और साथ ही ऐसी कोई भी सहमति जिस पर आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD), अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक लेन-देनों में विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वतखोरी से लड़ने के लिए नियम, संयुक्त राष्ट्र का भ्रष्टाचार रोधी अनुबंध, और भ्रष्टाचार के बारे में यूरोपीय परिषद का आपराधिक कानून करार शामिल हैं।

"व्यक्ति" का अर्थ है कोई भी सरकारी अधिकारी या निजी कानून द्वारा संचालित व्यक्ति, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कंपनी हो, साझीदारी हो, संघ हो, फाउंडेशन हो, ट्रस्ट हो या फिर कोई अन्य निकाय हो।

"AKWEL Group" का अर्थ है AKWEL, और ऐसी कोई भी कंपनी:

- जिसकी पूँजी का AKWEL के पास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई हिस्सा हो जिससे कि उसे उस कंपनी की जनरल मीटिंग में बहुमति मताधिकार प्राप्त होता हो ;
- जिसमें साझीदारों या शेयरधारकों के साथ किए हुए समझौते के चलते AKWEL के पास बहुमति मताधिकार हो और जो इस कंपनी के हितों के खिलाफ न हो;
- जिसमें वास्तव में AKWEL अपने पास उपलब्ध मताधिकारों से इस कंपनी की जनरल मीटिंग में निर्णय लेता हो ; या
- जिसमें AKWEL साझीदार या शेयरधारक हो और उसके पास कंपनी के किसी भी प्रशासनिक, प्रबंधक या पर्यवेक्षक निकाय के बहुमति सदस्यों को नामित या पदच्युत करने का अधिकार हो।


"मेहमान-नवाज़ी" का अर्थ है यात्रा, भोजन और निवास का खर्च।

"तृतीय पक्ष" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति, कंपनी, साझीदारी, संघ, फाउंडेशन, ट्रस्ट या फिर कोई अन्य निकाय जो हमारी कंपनी की ओर से काम कर रहे हों या उसके फायदे के लिए काम कर रहे हों, जिसमें सेल्स एजेंट, कन्सल्टेंट, व्यापार परिचायक, वितरक, संयुक्त उपक्रम साझीदार या हमारी कंपनी का जिस पर नियंत्रण न हो ऐसे संयुक्त उपक्रम (नीचे "कंपनी" की परिभाषा देखें)।


"कंपनी" का अर्थ है AKWEL.

सामान्य सिद्धांत

AKWEL ग्रूप एवं उसके सहयोगियों द्वारा किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति के कार्य के हिस्से के रूप में आथा हो ऐसा कोई कार्य करने या न करने के उद्देश्य से प्रेरित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ दिया जाना प्रतिबंधित है।



AKWEL ग्रूप और उसके सहयोगियों द्वारा किसी व्यक्ति को उनके वास्तविक या अनुमानित प्रभाव का दुरुपयोग कोई विशेषता, कोई नौकरी, कोई अनुबंध या फिर किसी सरकारी अधिकारी या प्रशासन से कोई अन्य, अनुकूल निर्णय प्राप्त करने के लिए उसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई लाभ देने का प्रस्ताव करने या उसका वचन देने पर प्रतिबंध है।



AKWEL और उसके सहयोगियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी व्यक्तियों से या उनकी तरफ से कोई भी लाभ माँगने या स्वीकार करने पर भी प्रतिबंध है, जब यह कोई कार्य अयोग्य तरीके से करने के संबंध में हो या फिर AKWEL ग्रूप में या AKWEL ग्रूप के लिए कोई कार्य करने के संबंध में हो।

प्रभाव के उपयोग और भ्रष्टाचार में अंतर यह है कि प्रभाव के उपयोग के अपराध निर्णय लेने वाले (सरकारी अधिकारी) को लक्षित नहीं करते हैं, बल्कि सत्ता के करीब हों ऐसे व्यक्ति लाभ पाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वह अपनी परिस्थिति के परिणाम स्वरूप निर्णय लेने वाले को प्रभावित कर सकते हैं।

नोट किया जाना चाहिए कि कभी-कभी प्रभाव के अवैध उपयोग और कानूनी लॉबीइंग के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है, प्रभाव के उपयोग का अपराध सामान्यतः तब होता है जब लाभ प्राप्त करने वाले का इरादा भ्रष्टाचार करने का हो। इस मामले में लॉबीइस्ट का सहारा लेना प्रतिबंधित है

संहिता की प्रयोज्यता

सरकारी अधिकारियों से संबंध

इस संहिता में वर्णित नियमों के अधीन, सरकारी अधिकारियों से संबंध अधिकृत हैं अगर यह निष्पक्ष तरीके से और प्रत्यक्ष रूप से वैध पेशेवर कारणों से प्रेरित हों।

सभी संबंध सद्भावनापूर्ण होने चाहिए और उपयुक्त दस्तावेजों से निर्मित होने चाहिए।

उपहार और मेहमान-नवाज़ी प्रक्रिया

तथापि, कभी, कभार कोई उपहार लिया या दिया जा सकता है, बशर्ते कि यह नगण्य मूल्य का हो स्थानीय विनियमों और व्यावसायिक रीतियों के अनुसार हो, और यह व्यावसायिक लेनदेनों के परिणाम को प्रभावित करने वाला न हो, या यह तृतीय पक्ष को ऐसा आभास न कराए कि वह उस परिणाम को प्रभावित कर सकता है। सभी मामलों में, सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

कभी-कभार सरकारी अधिकारी और अन्य व्यक्ति मेहमान-नवाज़ी कर सकते हैं या उसे स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते कि यह पेशेवर कारणों से प्रेरित हो और यह वाजिब और यथोचित हो।

तृतीय पक्ष का उपयोग

जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव के उपयोग रोधी कानून और यह संहिता किसी भी तरह की परोक्ष रिश्वतखोरी/ प्रभाव के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं, जिसमें तृतीय पक्ष के द्वारा प्रस्तावित या स्वीकृत भ्रष्टाचार भी शामिल है। AKWEL ग्रूप विश्वभर में तृतीय पक्षों के साथ लेन-देन कर सकता है और उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके अखंडता और नैतिकता के मानक उन व्यक्तियों द्वारा भी अपनाए जाएं, जो उसकी तरफ से कार्य करते हैं।

इसलिए AKWEL ग्रूप ने तृतीय पक्षों की स्थिति के आकलनके लिए एक विशेष प्रक्रिया विकसित की है। AKWEL ग्रूप के सहयोगियों को इस प्रक्रिया से परे तृतीय पक्षों के साथ लेन-देन नहीं करना चाहिए।

"सुविधा" भुगतान

"सुविधा" भुगतान इसलिए किए जाते हैं कि कोई सरकारी एजेंट अपने नियमित सरकारी कर्तव्यों को तेज़ी से या अधिक सरलता से करे।

यह सुविधा भुगतान सामान्यतः कम मूल्य के होते हैं और यह सामान्यतः निम्न स्तरीय सरकारी अधिकारियों को प्रदान किए या उनके द्वारा यह करने के लिए माँगे जाते हैं:

- हमारी कंपनी के कर्मचारियों को जो लाइसेंस या परमिट प्राप्त करने का अधिकार है वह जारी करना;
- टेन्डर भरते समय दी गई बोली मिलने का रिकॉर्ड रखना या उसकी स्वीकृति देना;
- पुलिस संरक्षण प्रदान करना।

हालाँकि हो सकता है कि "सुविधा" भुगतान गैरकानूनी न हो, और कुछ देशों में यह मानक व्यावसायिक प्रक्रिया का हिस्सा हों, AKWEL ग्रूप की ऐसे भुगतानों को प्रतिबंधित करने की नीति है।

दान और राजनैतिक अंशदान

दान और राजनैतिक अंशदान कोई चुनाव लड़ रहे राजनैतिक पार्टी या संगठन के उम्मीदवार के लाभ के लिए किए गए आर्थिक/ आर्थिक या वस्तु स्वरूप दान या अंशदान होते हैं।

ऐसे दान और अंशदान प्रतिबंधित हैं।

हितों का टकराव

हितों का टकराव ऐसी स्थिति में से होता है जिसमें किसी AKWEL सहयोगी का एक निजी हित होता है जिससे उसके कार्य करने पर प्रभाव हो सकता है और जिससे AKWEL ग्रूप के हितों से टकराव हो सकता है। हितों का टकराव निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है या फिर कर्मचारी के निष्पक्ष तरीके से अपने दायित्वों को निभाने की क्षमता के खिलाफ शंका उत्पन्न कर सकता है।

AKWEL ग्रूप के सहयोगी जो हितों के टकराव की स्थिति में हों, उन्हें तुरंत इसकी रिपोर्ट, विशेषतः जब वह कोई कर्मचारी हो, तो अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित कर के करनी चाहिए।

सभी मामलों में उन्हें संबंधित निर्णय में हिस्सा लेने से दूर रहना चाहिए।

प्रतिपालन

प्रतिपालन एक ऐसा दान होता है, जो आर्थिक सहाय या भौतिक सहायता होता है, जो किसी संगठन को सामान्य रुचि के कार्य (कला और संस्कृति, विज्ञान, मानवतावादी और सामाजिक प्रोजेक्ट शोध, आदि) के समर्थन के लिए प्रदान किया जाता है।

प्रतिपालन के सभी प्रोजेक्ट कानूनी होने चाहिए, AKWEL ग्रूप की नीति के अनुसार होने चाहिए और उन्हें AKWEL ग्रूप के संचार विभाग की सहमति प्राप्त होनी चाहिए।

प्रायोजन/प्रायोजकता

प्रायोजन एक संचार प्रकार्य है जिसमें आर्थिक एवं/अथवा भौतिक रूप से किसी सामाजिक, सांस्कृतिक या खेल की गतिविधि में अंशदान दिया जाता है, जिसका उद्देश्य है उससे एक सीधा लाभ पाना : AKWEL ग्रूप के मूल्यों की दृश्यता और उसकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी।

प्रायोजन के सभी प्रोजेक्ट कानूनी होने चाहिए, AKWEL ग्रूप की नीति के अनुसार होने चाहिए और उन्हें AKWEL ग्रूप के संचार विभाग की सहमति प्राप्त होनी चाहिए।

प्रशिक्षण

कर्मचारियों के लिए इस संहिता को पढ़ने और AKWEL ग्रूप द्वारा उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में हिस्सा लेना अनिवार्य है।

नये सहयोगियों को नियुक्ति के समय इसके बारे में अवगत कराया जाना चाहिए।

रिपोर्टिंग

यह सुनिश्चित करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, कि इस भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव रोधी संहिता में वर्णित उपायों का सम्मान किया जाए। यहाँ पर वर्णित नियमों के बारे में कोई शंका या प्रश्न होने पर AKWEL ग्रूप के सहयोगियों को AKWEL के विधि विभाग से संपर्क करना चाहिए।

किसी भी कर्मचारी को इस संहिता के किसी भी संभावित उल्लंघन के बारे में किसी भी चिंता की रिपोर्ट AKWEL ग्रूप में स्थापित एक रिपोर्ट प्रक्रिया का समर्पित प्रक्रिया (" AKWEL ग्रूप पेशेवर रिपोर्ट प्रक्रिया "), जो कि ग्रूप की सहयोगी साइट पर और AKWEL ग्रूप की वेबसाइट पर उपलब्ध है, के प्रावधानों के अनुसार करने का अधिकार है।

साधारण तौर पर , रिपोर्ट करते समय रिपोर्ट करनेवाले व्यक्ति को खुद की पहचान बतानी चाहिए।


असाधारण स्थिति में अनाम ढंग से रिपोर्ट की जा सकी है, बशर्ते कि उल्लिखित तथ्यों की गंभीरता स्थापित हो और तथ्य पर्याप्त रूप से वर्णित हों।

मुखबिर की पहचान करने वाले संघटकों को गोपनीय रखा जाएगा और उन्हें न्यायिक अधिकारियों को छोड़ कर किसी भी व्यक्ति के सामने बिना उस व्यक्ति की अनुमति के प्रकट नहीं किया जाएगा।

जिसके बारे में रिपोर्ट की गई हो उस व्यक्ति की पह चान करने वाले संघटकों को गोपनीय रखा जाएगा, और रिपोर्ट के सही होने की जानकारी मिलने पर उसकी जानकारी न्यायिक अधिकारी को देने के अलावा किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा।

उल्लंघनों की रिपोर्ट करना स्वैच्छिक है। फिर भी कर्मचारियों को भारपूर्वक ऐसे किसी भी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसके बारेमें वह अवगत हों, क्योंकि किसी भी उल्लंघन का हमारी कंपनी के लिए गंभीर प्रभाव हो सकता है।

दुर्भावना से रिपोर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति, उदाहरण के लिए जो जानबूझ कर झूठी या लगत जानकारी दे या जो दुर्भावना से रिपोर्ट करे, वह अनुशासनात्मक एवं/अथवा आपराधिक दंड के योग्य है।



दंड

भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव रोधी कानूनों का कोई भी उल्लंघन दीवानी और फौजदारी दंड से दंडनीय है और इन दंडनीय व्यक्तियों में ग्रूप के सहयोगी शामिल हैं।

उपरांत, भ्रष्टाचार रोधी और प्रभाव रोधी कानूनों और इस संहिता का पालन न करना कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बन सकता है, जैसा कि कंपनी के आंतरिक विनियमों में निर्दिष्ट है।

प्रश्न/ उत्तर

प्रश्न	उत्तर
क्या आप जानते हैं कि हमारी कंपनी किसी सरकारी अधिकारी को उपहार नहीं दे सकती है? क्या आप इस अधिकारी को किसी महत्वपूर्ण बाजार में स्थान प्राप्त करने में उसकी सहायता के लिए अपने खुद के पैसों से उपहार दे सकते हैं ?	किसी सरकारी अधिकारी को ऐसा उपहार देना एक अपराध है (चाहे वह उपहार आप दे रहे हों - आपके अपने पैसे से - या फिर हमारी कंपनी)। ऐसा उपहार देना वाकई गैरकानूनी है। ऐसा कर के आप स्वयं को और अपनी कंपनी को जोखिम में डाल रहे हैं।
कोई सरकारी अधिकारी कम समय में एक लाइसेंस प्राप्त करने में सहायता करने के लिए प्रतिफल मांग रहा है। क्या आप अपनी समयसीमा में यह काम करने के लिए इस बात को स्वीकार कर सकते हैं?	आपको किसी भी स्थिति में ऐसा भुगतान करने के लिए सहमत नहीं होना चाहिए जो कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज़ करने या सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा हो। ऐसे भुगतान हमारी कंपनी के मूल्यों के खिलाफ हैं, तब भी, जब यह किसी ऐसे देश में किए जा रहे हों जहाँ पर ऐसा करने का रिवाज़ हो। यदि आप अपने पास हो उस अवधि में वह काम नहीं कर सकते हैं, तो साथ मिलकर कोई समाधान खोजने के लिए अपने पर्यवेक्षक से संपर्क करें।
आप एक टेन्डर भरते हैं और जिस अधिप्राप्ति निर्देशक ने वह टेन्डर निकाला है, जिसके साथ आपको भूतकाल में काम करने का अवसर प्राप्त हो चुका है, और जिसका आप सम्मान करते हैं, आप से आपकी फैक्ट्री की मुलाकात आयोजित करने को कहते हैं। वह चाहते हैं, कि उनका बेटा, जिसे उनकी गतिविधियों में रुचि है, उसे भी आमंत्रित किया जाए। आपको क्या करना चाहिए?	आपको कभी भी किसी क्लायंट के परिवार के सदस्यों की देखभाल का ज़िम्मा नहीं उठाना चाहिए। आप उन्हें उपहार दे रहे होंगे, जो कि एक अपराध है।

AKWEL

मुख्यालय

AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

975, route des Burgondes
01410 Champfromier
France
TEL +33 (0)4 50 56 98 98